वित्तीय स्वीकृति

संख्या-22/2016/825/52-3-16-सा(19)/2015

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह

सचिव

उ0प्र0 □□□□

सेवा में

□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण

□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 □□□□: दिनांक 31 मार्च 2016

विषयः-जनपद रामपुर में हमारी बेटी उसका कल योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में चेक वितरण हेतु आयोजित समारोह में साउण्ड व्यवस्था से संबंधित □□□ □□□□□□ □□संबंध में।

□□□□

उपर्युक्त विषयक आपके प 0-4670/□0□0□0□□0/□0□0□ □0□0/2015-16 दिनांक 8.3.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद रामपुर में दिनांक 10.12.2012 को हमारी बेटी उसका कल योजना तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कन्या विद्याधन योजना के चेक वितरण हेतु आयोजित संयुक्त कार्यक्रम में लाभार्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये जिलाधिकारी रामपुर द्वारा पत्र सं0-1748/□□0टी0/2012-13 दिनांक 18.3.2013 द्वारा समारोह में साउण्ड व्यवस्था से संबंधित प्राप्त देयक अंकन रू0 4,00,000/-में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग की क्रमशः रू0 02,03,000/- तथा रू0 01,97,000/- की देयता निर्धारित की गयी □□

2. आपके द्वारा साउण्ड व्यवस्था से संबंधित उपलब्ध कराये गये सत्यापित देयक अंकन रू0 04,00,000/- को दृष्टिगत रखते हुये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हेतु जिलाधिकारी रामपुर द्वारा निर्धारित धनराशि रू0 02,03,000/-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(रू0 दो लाख तीन हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में लघु ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु उपलब्ध लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-03- मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में लघु ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना -20-सहायता [illegible]- सामान्य ([illegible]) में प्राविधानित धनराशि रू0 21,17,31,000/- के सापेक्ष उपलब्ध बचतों रू0 02,58,66,000/- से लेखार्शीषक- 2225-[illegible] अनुसूचित जनजातिया तथा अन्य पिछड़ेवर्ग का कल्याण-80- सामान्य- 800-अन्य व्यय-03-अल्पसंख्यकों का कल्याण- 0309-अल्पसंख्यक समुदाय की कक्षा-10 पास छात्राओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु अनुदान-20-[illegible]-सामान्य([illegible]) मद में रू0 02,03,000/-(रू0 दो लाख तीन हजार मात्र) की धनराशि पुर्नविनियोग कर स्वीकृत कर आपके निर्वतन पर रखे जाने में श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष सहमति प्रदान करते हैं।

3. उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 [illegible]-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-80-सामान्य-800-अन्य व्यय- आयोजनेत्तर-03-मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों में लघु ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना -20-[illegible]-सामान्य ([illegible]) से पुर्नविनियोग कर लेखार्शीषक- 2225-[illegible] जनजातिया तथा अन्य पिछड़ेवर्ग का कल्याण-80- सामान्य- 800-अन्य व्यय-03-अल्पसंख्यकों का कल्याण- 0309-अल्पसंख्यक समुदाय की कक्षा-10 [illegible] छात्राओं को आगे की शिक्षा ग्रहण करने अथवा विवाह हेतु अनुदान-20-सहायता [illegible]-सामान्य([illegible]) [illegible]

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/[illegible]0-1-925/[illegible]-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च 2015 में निर्गत दशा निर्देशांक के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(श्रीप्रकाश सिंह)
[illegible]

1- [illegible] इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: [illegible]स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं [illegible]

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-825(1)/52-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- □□ि□□ि□ि□□ि (□□ि परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 □□ि□ि□ि□□

2- □□ि□□ि□ि□□ि (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 □□ि□ि□ि□□

3- कोषाधिकारी ज□ि□□ □□□ □□□□/वित्त एवं लेखाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय उ0प्र0 □□□□□

4- जिलाधिकारी रामपुर उ0प्र0।

5- वित्त (ई-11) □□□ि□/वित्त (□□-व्ययक) □□□ि□-1(02 प्रतियों में)/ि□□ि□□ □□□ि□-3 □ि□ि□□ □□ि□□/गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी

1- □□ □ि□□ि□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः □स पर हस्ताक्षर की आवश्य□□ नहीं ि□□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in